

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-04 / 2023

परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-04 / 2023 के अंतर्गत चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 27.01.2025 से 12.02.2025 तक आयोजित साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर, व्यवहारिक जाँच परीक्षा के लिए आरक्षण कोटिवार सफल अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार परीक्षाफल निम्नवत है:-

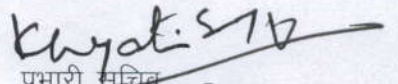
कोटि-अनारक्षित				
12501717	12501986	12502269	12503244	12503720
12503748	12504105	12504274	12505419	12505519
12505522	12505690	12505805	12507482	12507744
12507987	12508020	12508065	12508157	12509626
12509717	12510950	12510981	12513371	12514649
12514681	12515093	12515136	12515156	12515350
कोटि-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				
12500544	12500805	12501952	12502465	12503170
12504276	12505942	12508311	12508449	12510343
कोटि-अनुसूचित जाति				
12500214	12504406	12506287	12507042	12511322
12512175	12512990	12513729	12514361	12515403
कोटि-अत्यंत पिछड़ा वर्ग				
12501036	12501058	12501821	12502484	12503010
12503124	12503544	12504172	12504530	12504642
12504820	12505078	12506785	12506939	12508953
12509734	12510082	12510089	12511336	12511942
12511993	12514384			
कोटि-पिछड़ा वर्ग				
12500016	12501039	12501337	12505743	12508546
12509343	12509626	12509900	12510643	12511362
कोटि-पिछड़े वर्ग की महिला				
12503087	12508026	12508837	12515434	12515657

ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षाफल तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होने से ही किसी अभ्यर्थी की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। व्यवहारिक जाँच परीक्षा एवं अंतिम परीक्षाफल की प्रक्रिया के किसी भी चरण में उन सभी अभ्यर्थियों की अर्हता की समीक्षा करने के उपरान्त उसपर यथोचित निर्णय लेने का अधिकार सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।

टिप्पणी

- उपर्युक्त सफल घोषित अभ्यर्थियों की व्यवहारिक जाँच परीक्षा (ड्राइविंग टेस्ट) से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम अलग से बिहार विधान सभा के वेबसाइट <https://vidhansabha.bihar.gov.in/> पर शीघ्र प्रदर्शित किया जायेगा।


प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
24/4/25